

**पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा
पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई,
फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के लिए निर्देश।**

आज दिनांक- 13.06.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक:- 13.06.2025 को बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी नगर, श्री दीपक दुबे के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न बैंकों में पहुंचकर बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया गया व विभिन्न सुरक्षा उपकरणों की स्थिति की समीक्षा की गयी।

जनपदीय पुलिस बल द्वारा क्षेत्रान्तर्गत संचालित विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थानों में भ्रमणशील रहे, इस दौरान बैंक के अन्दर व बाहर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी तथा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों को पूछताछ कर वहाँ से हटाया गया तथा बैंक के अन्दर उपस्थित भीड़ को कतारबद्ध किया गया साथ ही बैंक के अन्दर स्थित सीसीटीवी कैमरों, वार्निंग अलार्म एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को परखा गया एवं शाखा प्रबन्धक से सुरक्षा बिन्दुओं पर वार्ता की गयी, इस दौरान ड्यूटी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, इसके साथ ही बैंकों के बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछताछ की गयी व उन्हें अनावश्यक रूप से न खड़े होने की हिदायत दी गयी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने बैंक चेकिंग के दौरान बैंक आये हुए आम जनमानस से संवाद स्थापित कर उनको धोखा-धड़ी, जालसाजी, ठगी/टप्पेबाजी से बचाव हेतु जागरूक किया गया।



थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने जिलाबदर अपराधी को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु जिलाबदर/पुरस्कार घोषित/वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रचलित अभियान "ऑपरेशन धरपकड़" के तहत आज दिनांक- 13.06.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित उ0नि0 देवीशंकर मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान ग्राम महोबकंठ के पास से 01 नफर जिलाबदर अपराधी भूपेन्द्र राजपूत पुत्र तुलाराम राजपूत उम्र करीब 48 वर्ष निवासी ग्राम पचारा थाना महोबकंठ जनपद महोबा को पुलिस हिरासत में लिया गया। जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किया गया। अभियुक्त द्वारा श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय महोबा के जिलाबदर आदेश का उलंघन करने व अवैध शस्त्र की बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 95/2025 धारा 10 गुण्डागर्दी नियन्त्रण अधि0 1970 व 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

भूपेन्द्र राजपूत पुत्र तुलाराम राजपूत उम्र करीब 48 वर्ष निवासी ग्राम पचारा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 फूलचन्द्र सिंह
2. उ0नि0 देवीशंकर मिश्रा
3. कां0 नितिन कुमार



थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ

01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक:-13.06.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना श्रीनगर श्री अवधेश कुमार मिश्र द्वारा गठित उ0नि0 विकासधर दुबे मय हमराह कां0 नितेश कुमार कुशवाहा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र श्री शिबू अहिरवार उम्र 32 वर्ष निवासी मु0 बड़ापुरा कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 झोले में 25 अदद क्वार्टर देशी शराब झूम ब्राण्ड नाजायज बरामद करते हुए बिलखी तिराहे के पास बने यात्री प्रतिकालय कस्बा श्रीनगर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 121/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

अशोक कुमार पुत्र शिबू अहिरवार उम्र 32 वर्ष निवासी मु0 बड़ापुरा कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 विकासधर दुबे
2. कां0 नितेश कुमार कुशवाहा



थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक व जनपदवासियों में सुरक्षित परिवेश की भावना जागृत किये जाने के उद्देश्य से जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक- 13.06.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली महोबा श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित उ0नि0 गौरव चौबे के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 215/2025 धारा 137(2)/65(1) बी0एन0एस0 व 3/4 पॉक्सो अधिनियम से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त आकाश प्रजापति पुत्र लालचन्द्र प्रजापति उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मगरियापुरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को सुभाष चौकी थाना कोतवाली नगर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 गौरव चौबे

गिरफ्तार अभियुक्त -

आकाश प्रजापति पुत्र लालचन्द्र प्रजापति उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मगरियापुरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा



थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र के साथ

01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में आज दिनांक- 13.06.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर, श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित उ0नि0 दिनेश तिवारी मय हमराह हे0कां0 प्रदीप कुमार व कां0 अवनेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त धनीराम उर्फ लल्लू पुत्र साधू प्रजापति उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम बिलवई थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए ग्राम बिलवई थाना कोतवाली नगर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 256/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

धनीराम उर्फ लल्लू पुत्र साधू प्रजापति उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम बिलवई थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 दिनेश तिवारी
2. हे0कां0 प्रदीप कुमार
3. कां0 अवनेश कुमार



थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम ने अवैध गांजा के साथ

01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध मादक पदार्थों के रोकथाम अभियान के क्रम में दिनांक- 13.06.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित उ0नि0 संजय सिंह मय हमराह हे0कां0 राजकुमार सिंह व कां0 विनोद यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त अमित यादव पुत्र उमाशंकर यादव उम्र 19 वर्ष निवासी सत्तीपुरा कस्बाथाई थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 सफेद झोले में 597 ग्राम सूखा गांजा नाजायज बरामद करते हुए मु0 यशोदानगर थाना कोतवाली नगर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 257/2025 धारा धारा 8/20 NDPS ACT का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

अमित यादव पुत्र उमाशंकर यादव उम्र 19 वर्ष निवासी सत्तीपुरा कस्बाथाई थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 संजय सिंह
2. हे0कां0 राजकुमार सिंह,
3. कां0 विनोद कुमार



थाना कबरई की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 07 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु जनपद में संचालित अवैध जुआ/सट्टा पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक- 12.06.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष थाना कबरई श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा गठित उ0नि0 अनुज कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर सार्वजनिक स्थान ग्राम रिवाई के पास ताश के पत्ते से हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 07 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.चुनुवाद कुशवाहा पुत्र स्व0 बलराम उम्र करीब 33 वर्ष 2.रामसेवक साहू पुत्र स्व0 बाबूलाल साहू उम्र करीब 45 वर्ष 3. बलवीर अनुरागी पुत्र स्व0 फुल्लू उम्र करीब 50 वर्ष 4.जगरुप यादव पुत्र रामप्रसाद उम्र करीब 53 वर्ष 5.सुरेश कुशवाहा पुत्र रामसनेही उम्र करीब 42 वर्ष 6. सुधीर यादव पुत्र स्व0 सन्तोष कुमार उम्र करीब 39 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम रिवाई थाना कबरई जनपद महोबा 7.गजराज यादव पुत्र स्व0 मन्नू उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम रागौलिया बुजुर्ग पोस्ट अकौना जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को पुलिस हिरासत में लिया गया। जिनके कब्जे से जामा तलाशी के 6020 रुपये, माल फड 9450 रुपये व 52 अदद ताशपत्ता बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 172/25 धारा 13 जी एकट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 अनुज कुमार सिंह
2. उ0नि0 अभिनव सिंह
3. कां0 अंकित पटेल
3. कां0 धर्मेन्द्र कुमार
4. कां0 अनूप कुमार रत्ना

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. चुनुवाद कुशवाहा पुत्र स्व0 बलराम उम्र करीब 33 वर्ष
2. रामसेवक साहू पुत्र स्व0 बाबूलाल साहू उम्र करीब 45 वर्ष
3. बलवीर अनुरागी पुत्र स्व0 फुल्लू उम्र करीब 50 वर्ष
4. जगरुप यादव पुत्र रामप्रसाद उम्र करीब 53 वर्ष
5. सुरेश कुशवाहा पुत्र रामसनेही उम्र करीब 42 वर्ष
6. सुधीर यादव पुत्र स्व0 सन्तोष कुमार उम्र करीब 39 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम रिवाई थाना कबरई जनपद महोबा
7. गजराज यादव पुत्र स्व0 मन्नू उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम रागौलिया बुजुर्ग पोस्ट अकौना जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

